न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **46/2024** अन्तर्गत धारा 131, **136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सकूर पुत्र नसीर 2. जेती पत्नी शकूर 3. दीना पुत्र नसीर 4. मरियम पत्नी दीना 5. यार मोहमद पुत्र नसीरखान 6. अमीर पुत्र नसीर जाति मुसलमान, निवासी मोतीनाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया, मौखाब

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 08.05.2026

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 705/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी के सेढासेढ ही प्रार्थी संख्या 3 व 4 का खेत खसरा नम्बर 706/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 5 का खेत खसरा नम्बर 707/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 6 का खेत खसरा नम्बर 704/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 703/595 रकबा 0.1456 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त आराजी मूल खसरा नम्बर 595 के विभक्त खसरा नम्बर है। उक्त संयुक्त खातेदारी के मूल खसरा नम्बर 595 का आपसी सहमति से विभाजन होने पर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। उक्त सहमति विभाजन में समस्त खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से आवागमन हेतु रास्ता भी रखा गया है। उक्त रास्ते की भूमि को संयुक्त खातेदारी में रखा जाकर नवीन खसरा नम्बर 703/595 रकबा 0.1456 हैक्टेयर कायम किया गया परन्तु उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर खसरा नम्बर 705/595 के खातेदारान् को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है तथा आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार एवं रास्ते हेतु रखी गई भूमि को समस्त विभक्त खसरा नम्बर से जोड़ते हुए तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर खसरा नम्बर 704/595, 707/595, 706/595, 705/595 में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 703/595 जो रास्ते के लिए है, को खसरा नम्बर 705/595 तक ग्रेवल सड़क अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित की गई है। उक्त तरमीम शुद्धि मूल खसरा नम्बर 595 से

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

विभक्त समस्त खसरा नम्बर को जोड़ते हुए मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर माफिक कब्जा काश्त अनुसार एवं रास्ते हेतु रखी गई भूमि को समस्त विभक्त खसरा नम्बर से जोड़ते हुए तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर खसरा नम्बर 704/595, 707/595, 706/595, 705/595 में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 703/595 जो रास्ते के लिए है, को खसरा नम्बर 705/595 तक ग्रेवल सड़क अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित की गई है। उक्त तरमीम शुद्धि मूल खसरा नम्बर 595 से विभक्त समस्त खसरा नम्बर को जोड़ते हुए मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा माधा का तला, तहसील शिव में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 705/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 व 4 के खेत खसरा नम्बर 706/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 5 के खेत खसरा नम्बर 707/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 6 के खेत खसरा नम्बर 704/595 रकबा 2.0275 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 703/595 रकबा 0.1456 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner